कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर

पत्रांक 6051 /14-1 दिनांक, कानपुर, मई 19 2015

सेवामें,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः जनपद इटावा में राष्ट्रीय राजमार्ग–719 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग–92) के कि0मी0 60.000से कि0मी0 69.850 तक (एस0एस0पी0 चौराहे से यमुना पुल तक सड़क चौड़ीकरण हेतु 7.7285 हे0 (संरक्षित वनभूमि व आरक्षित वनभूमि) के हस्तान्तरण एवं उस पर खड़े वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः 1– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, अलीगंज लखनऊ के पत्रांक 8 बी / य.पी. / 06 / 2015 / एफ.सी. / 133 दि0 11.05.2015।
2– प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग इटावा का पत्रांक 2613 / 14–10–1 दिनांक 11.05.2015 व 2669 / 14–10–1 दिनांक 16.05.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में अनुरोध करना है, कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रांक 8 बी / य.पी. / 06 / 2015 / एफ.सी. / 133 दि0 11.05.2015 से उक्त प्रकरण में कतिपय आपत्तियाँ की गई है। इस सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग इटावा ने अपने पत्रांक 2669 / 14–10–1 दिनांक 16.05.2015 अवगत कराया है कि सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खन्ड, लोक निर्माण विभाग, इटावा व प्रभागीय निदेशक इटावा ने दि0 11.05.2015 को भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के कार्यालय में उपस्थित होकर इंगित कमियों का प्रस्ताव में यथा स्थान पर निराकरण कर वांछित अभिलेख भी संलग्न कर दिये है तथा इस आशय की आख्या प्रभागीय निदेशक इटावा ने पत्र संख्या 2613 / 14–10–1 दि0 11.05.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, अलीगंज लखनऊ को उपलब्ध करा दी गई है।

प्रभागीय निदेशक इटावा ने उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र 16.05.2015 द्वारा सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, अलीगंज लखनऊ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 11.05.2015 के क्रम में निम्नवत्त आख्या उपलब्ध कराई है।

बिन्दु संख्या–1– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 40 हजार मानव दिवस रोजगार सृजन सम्बन्धी सूचना (परिवर्तित पृष्ठ 06 पर) अंकित कर दी है।

बिन्दु सं0–2– प्रभागीय निदेशक इटावा द्वारा वानस्पतिक घनत्व सम्बन्धी सही सूचना (वानस्पतिक घनत्व से 0.3) परिवर्तित पृष्ठ 09 पर अंकित कर दी गई है।

बिन्दु सं0–3– जो कि N.P.V. की गणना में संशोधन के सम्बन्ध में है, जिसके क्रम में पृष्ठ सं0–21 पर प्रयोक्ता अभिकरण की बचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्न है।

बिन्दु सं0–4– जो कि पृष्ठ संख्या–6 के कालम–12 में उल्लंघन से सम्बन्धित किसी सूचना के उल्लेख नहीं करने के सम्बन्ध में है, उक्त विषयक सूचना को परिवर्तित पृष्ठ 10 पर ठीक कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–5– जो कि प्रस्ताव में प्रदत्त कई प्रकार की बचनबद्धता प्रमाण पत्र में प्रयोक्ता अभिकरण की मुहर व दिनांक का उल्लेख न होने एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराने के सम्बन्ध में है, जिसे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुहर व दिनांक अंकित कर दी गई है एव प्रभागीय निदेशक इटावा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–6– जो कि पृष्ठ संख्या–14 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अधूरी स्थल निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में है, जिसे प्रभागीय निदेशक इटावा द्वारा पूर्ण कर परिवर्तित पृष्ठ 19 पर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–7– जो कि पृष्ठ सं0–20 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं करने के सम्बन्ध में है, जिसे प्रभागीय निदेशक इटावा द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव के साथ परिवर्तित पृष्ठ 25 पर संलग्न कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–8– जो कि पृष्ठ सं0–23 से 33 तक संलग्न पातन होने वाले वृक्षों की सूची में अधिकतम गोलाई वर्ग (0 से 30 से0मी0) के 4221 पौधे हैं तथा शेष 852 वृक्ष गोलाई वर्ग (31 से 60 सेमी. एवं उच्च गोलाई वर्ग) के हैं की सूचना/अभ्युक्ति में दिये जाने के सम्बन्ध में है, जिसे प्रभागीय निदेशक द्वारा अभ्युक्ति में परिवर्तित पृष्ठ 28 से 36 पर कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–9– जो कि पृष्ठ सं0–36, 37, 38 व 39 में प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पूर्ण करने के सम्बन्ध में है, जिसे प्रभागीय निदेशक इटावा द्वारा पूर्ण कर प्रस्ताव मे (परिवर्तित पृष्ठ 39से 42 पर) संलग्न कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–10– जो कि पृष्ठ सं0–55 पर संलग्न जिलाधिकारी इटावा का वनाधिकार अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में न होने व संलग्नकों के न लगे होने के सम्बन्ध में है, जिसे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में मय संलग्नकों के साथ जिलाधिकारी इटावा से हस्ताक्षर कराकर प्रस्ताव के (परिवर्तित पृष्ठ 58 पर) साथ संलग्न कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–11– जो कि पृष्ठ सं0–72 व 73 पर संलग्न डिजीटल मानचित्र अधूरा होने के सम्बन्ध में है, जिसे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण कर प्रस्ताव के साथ (परिवर्तित पृष्ठ 79 से 80 पर) संलग्न कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–12– जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल को डिजीटल मानचित्र/गूगल मानचित्र पर सभी बिन्दुओं को दर्शाते हुये अक्षांश व देशान्तर के साथ प्रस्तुत करने एवं प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को डिजीटल/मानचित्र (shp file) में दर्शाते हुये प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में है, जिसे डिजीटल मानचित्र/गूगल मानचित्र पर अक्षांश व देशान्तर सहित पूर्ण कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय अलीगंज लखनऊ को लिखने की कृपा करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

पत्रांक /समदिनांक

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग इटावा उनके उक्त सन्दर्भित पत्र पत्रांक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा।

पत्रॉक 2679 /14–10–1 दिनॉक, इटावा, मई, 16, 2015

सेवामें,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

विषयः जनपद इटावा में राष्ट्रीय राजमार्ग–719 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग–92) के कि0मी0 60.000से कि0मी0 69.850 तक (एस0एस0पी0 चौराहे से यमुना पुल तक सडक चौडीकरण हेतु 7.7285 हे0 (संरक्षित वनभूमि व आरक्षित वनभूमि) के हस्तान्तरण एवं उस पर खडें वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः 1– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय का पत्रॉक 8 बी/य.पी./06/2015/एफ.सी./133 दि0 11.05.2015

2– अधिशाषी अभियन्ता, राष्टीय मार्ग खन्ड,लोक निर्माण, इटावा का पत्रॉक 543/त्व0आ0वि0यो0 दि0 11.05.2015

3– इस कार्यालय का पत्रॉक 2613/14–10–1 दि0 11.05.2015

4– आपका पत्रॉक 6025/14–1 दि0 15.05.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में अनुरोध करना है, कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रॉक 8 बी/य.पी./06/2015/एफ.सी./133 दि0 11.05.2015 से उक्त प्रकरण में कतिपय आपत्तियॉ की गई है। इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता, राष्टीय मार्ग खन्ड, लोक निर्माण विभाग, इटावा व अधोहस्ताक्षरी ने दि0 11.05.2015 को भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के कार्यालय में उपस्थित होकर इंगित कमियों का प्रस्ताव में यथा स्थान पर निराकरण कर वांछित अभिलेख भी संलग्न कर दिये है। इस आशय की आख्या इस कार्यालय की पत्र संख्या 2613/14–10–1 दि0 11.05.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

बिन्दु संख्या–1– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 40 हजार मानव दिवस रोजगार सृजन सम्बन्धी सूचना (परिवर्तित पृष्ठ 06 पर) अंकित कर दी है।

बिन्दु सं0–2– अधोहस्ताक्षरी द्वारा वानस्पतिक घनत्व सम्बन्धी सही सूचना (वानस्पतिक घनत्व से 0.3) परिवर्तित पृष्ठ 09 पर अंकित कर दी गई है।

बिन्दु सं0–3– जो कि N.P.V. की गणना में संशोधन के सम्बन्ध में है, जिसके क्रम में पृष्ठ सं0–21 पर प्रयोक्ता अभिकरण की बचनबद्वता का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्न है।

बिन्दु सं0–4– जो कि पृष्ठ संख्या–6 के कालम–12 मे उल्लंघन से सम्बन्धित किसी सूचना के उल्लेख नहीं करने के सम्बन्ध में है, उक्त विषयक सूचना को परिवर्तित पृष्ठ 10 पर ठीक कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–5– जो कि प्रस्ताव में प्रदत्त कई प्रकार की बचनबद्वता प्रमाण पत्र में प्रयोक्ता अभिकरण की मुहर व दिनॉक का उल्लेख न होने एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराने के सम्बन्ध में है, जिसे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुहर व दिनॉक अकिंत कर दी गई है एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–6– जो कि पृष्ठ संख्या–14 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अधूरी स्थल निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में है, जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्ण कर परिवर्तित पृष्ठ 19 पर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–7– जो कि पृष्ठ सं0–20 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं करने के सम्बन्ध में है, जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव के साथ परिवर्तित पृष्ठ 25 पर संलग्न कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–8– जो कि पृष्ठ सं0–23 से 33 तक संलग्न पातन होने वाले वृक्षों की सूची मे अधिकतम गोलाई वर्ग (0 से 30 से0मी0) के 4221 पौधे हैं तथा शेष 852 वृक्ष गोलाई वर्ग (31 से 60 सेमी एवं

उच्च गोलाई वर्ग) के है की सूचना/अभ्युक्ति में दिये जाने के सम्बन्ध में है, जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभ्युक्ति में परिवर्तित पृष्ठ 28 से 36 पर कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–9– जो कि पृष्ठ सं0–36, 37, 38 व 39 में प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पूर्ण करने के सम्बन्ध में है, जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्ण कर प्रस्ताव में (परिवर्तित पृष्ठ 39से 42 पर) संलग्न कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–10– जो कि पृष्ठ सं0–55 पर संलग्न जिलाधिकारी इटावा का वनाधिकार अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में न होने व संलग्नकों के न लगे होने के सम्बन्ध में है, जिसे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में मय संलग्नकों के साथ जिलाधिकारी इटावा से हस्ताक्षर कराकर प्रस्ताव के (परिवर्तित पृष्ठ 58 पर) साथ संलग्न कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–11– जो कि पृष्ठ सं0–72 व 73 पर संलग्न डिजीटल मानचित्र अधूरा होने के सम्बन्ध में है, जिसे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण कर प्रस्ताव के साथ (परिवर्तित पृष्ठ 79 से 80 पर) संलग्न कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–12– जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल को डिजीटल मानचित्र/गूगल मानचित्र पर सभी बिन्दुओं को दर्शाते हुये अक्षांश व देशान्तर के साथ प्रस्तुत करने एवं प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को डिजीटल/मानचित्र (shp file) में दर्शाते हुये प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में है, जिसे डिजीटल मानचित्र/गूगल मानचित्र पर अक्षांश व देशान्तर सहित पूर्ण कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को लिखने की कृपा करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,इटावा।

पत्रांक 2679 /समदिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उक्त विषयक सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खन्ड, लोक निर्माण विभाग, इटावा।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा।